MOST URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :–एफ.28(4)पंरावि/प्रशा–2/ग्रासे/डीपीसी/2013–14/117 जयपुर,दिनांक :– 10.01.14

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त ।

2– विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त ।

विषय :– ग्राम सेवकों के सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्र क्रमांक 455 दिनांक 12–02–2013 से ग्राम सेवकों की राज्यस्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची वर्ष 1997–98 से 2012–13 के ग्राम सेवकों के सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न) निम्नानुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें :–

1– ग्राम सेवक राज्यस्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची के आधार पर निम्न ग्राम सेवकों के श्रेणीवार सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र भिजवाये जावें :–

1– सामान्य श्रेणी के ग्राम सेवक वरिष्ठता क्रमांक 2212 से 6000 तक
2– एससी श्रेणी के ग्राम सेवक वरिष्ठता क्रमांक 2745 से 6300 तक
3– एसटी श्रेणी के ग्राम सेवक वरिष्ठता क्रमाक 3594 से 6800 तक

2– **संतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र 10/–रू0 के नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डनायक से प्रमाणित कराकर पंचायत समिति कार्यालय उपयोग हेतु सुरक्षित रखें ।**

3– उक्त जारी वरिष्ठता सूची में जिन ग्राम सेवकों को पदोन्नत दर्शाया गया है/पदोन्नत हो चुके हैं, उनके प्रमाण पत्र नहीं भेजे जावे परन्तु उनकी पदोन्नति तिथि तथा कार्यग्रहण तिथि की जानकारी देंवे ।

4– जिन पदोन्नत ग्राम सेवकों का लिफाफा बन्द है, यदि उनके जांच प्रकरण का निस्तारण हो गया हो तो, उनके प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से भिजवाये ।

5– जिन ग्राम सेवकों की किसी भी प्रकार की जांच दशाई गई हो, उनके जांच संबंधी पत्रादि (आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र) की प्रति मय प्रकरण की वर्तमान स्थिति सहित संलग्न कर भिजवायें ।

6– संलग्न सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही भिजवाई जावे । फोटो प्रति मान्य नहीं होगी ।

7– उक्त प्रमाण पत्र विकास अधिकारी संबंधित जिला परिषद को भिजवायेंगें एवं संबंधित जिला परिषद जिले की ईकजाई सूचना उक्तानुसार भिजवायेंगे ।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त वरिष्ठता सूची में वर्णित ग्राम सेवक का पदस्थापन अन्यत्र पंचायत समिति/जिला परिषद में होने की स्थिति में जिस भी पंचायत समिति या जिला परिषद में उक्त ग्राम सेवकों में से किसी का भी अभिलेख उपलब्ध है, सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । **प्रमाण पत्र एक सप्ताह में विशेष वाहक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।**

संलग्न – प्रारूप

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा–2)

कार्यालय पंचायत समिति—————

क्रमांकः—   दिनांक :—

सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र

नाम जिला परिषद :—   पंचायत समिति का नामः—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री————————— पुत्र श्री————— पंचायत समिति—————————जिला————— में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर कार्यरत है । इनकी वरिष्ठता क्रमांक————जाति एवं वर्ग——————जन्म तिथि——————नियुक्ति तिथि—————— मूल (पैतृक) विभाग का नाम —————— ग्राम सेवक पद पर समायोजन तिथि —————— है ।

इनकी गत सात वर्षो की सेवायें संतोषजनक/असंतोषजनक हैं (जो लागू न हो, उसे कांट देवें) एवं इनके विरूद्व कोई एसीबी/16 सीसीए/17 सीसीए/विभागीय जांच/अभियोजन स्वीकृति लम्बित हैं/नहीं है (जो लागू न हो, उसे कांट देवें)।

इनके1जून 2002 के बाद कोई तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है ।

हस्ताक्षर मय सील
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति———

हस्ताक्षर मय सील
मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद ——————